असाधारण
EXTRAORDINARY
Daman 15th January, 2015, 25 Pausa 1936 (Saka) सं. No. : 02

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU
प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

UT Administration of Daman & Diu
Department of Panchayati Raj Institution
Office of the Secretary Panchayat Daman & Diu
Moti Daman

Notification

No. 4/21/SEC/(PRI)/ANTI–DEF/2013/97 **Dated : 15/01/2015**

Whereas draft of the Members of Daman and Diu District Panchayat (Disqualification on ground of Defection) Rules, 2013 was published as required by sub section (1) of section 121 of the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (No. 4 2012) under the notification of the Union Territory of Daman and Diu, in the Department of Panchayati Raj Institutions, Office of the Secretary Panchayat Daman and Diu No. 4/21/SPL.SEC/(PRI)/2012-13/7219 dated 23/03/2013 in Official Gazette extraordinary No. 07 dated 23rd March 2013 on page 148 to 153 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of 30 days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were also made available to the public on the Official website of Daman and Diu Administration;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been duly considered by the Administrator of the Union Territory;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Paragraph 5 of the Fifth Schedule of Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012, the Administrator, Union Territory of Daman and Diu hereby makes the following Rules, namely :-

Rules

1. Short,title and commencement :

(1) These rules may be called the Members of Daman and Diu Panchayat (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 2013.

(2) These Rules shall be applicable to all elected members of the Panchayat.

(3) These Rules shall come into force on the date of publication in the Official Gazette of Daman & Diu.

2. Definitions :

(i) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Clear days" means exclusive of the day of issue of a notice or intimation, the day of the meeting, and any Gazetted holidays or Sunday;

(b) "Date of commencement" in relation to these rules means the date on which these rules take effect under Paragraph 5 of the Fifth Schedule; after having been notified in the Official Gazette of Daman & Diu;

(c) "Fifth Schedule" means the Fifth Schedule to the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Member" means elected member of the District Panchayat;

(f) "Minutes" means the minutes of the meeting of District Panchayat;

(g) "Original political party" in relation to a member of a Panchayat means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2 of the Fifth Schedule;

(h) "Panchayat" means a District Panchayat or a Gram Panchayat;

(i) "Political Party" means a Political Party as defined in the Representation of People Act, 1951;

(j) "Regulation" means the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012;

(ii) Words and expression used, but not defined in this rules shall have the same meaning respectively assigned to them in the Regulation.

3. Information to be furnished by leader of any political Party:-

(1) The leader of each political Party (including party consisting of only one member) shall, submit within the period prescribed in sub-rule (2):

(a) a statement, in writing containing the names of members of party together with other particulars regarding such members as in **FORM I** and the names and designations of the members of such party who have been authorised by it for communicating with the Chief Executive Officer for purpose of these rules;

(b) a copy of the rules and regulations, whether known as such or as constitution or by any other name, of the political party concerned; and

(2) Information prescribed in sub-rule (1) shall be submitted:-

(i) Where the first meeting of the Panchayat has been held prior to the commencement of these Rules, within fifteen clear days of the commencement of these Rules or within such further period as the Secretary Panchayat may for sufficient reason allow;

(ii) In any other case, within fifteen days of the first meeting of the Panchayat or within such period the Secretary Panchayat may for sufficient reason allow:

(3) Whenever any change takes place in the information furnished by the leader of the party under sub-rule (1), he shall, within fifteen clear days thereafter, or, within such further period as the Secretary Panchayat may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Chief Executive Officer with respect to such change.

(4) Where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the Panchayat contrary to any direction issued by such political party to which he/she belongs or by any person or authority authorized by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the party concerned or where such member is the leader, or as the case may be, the sole member of such party, such member, shall, as soon as may be after the expiry of fifteen clear days from the date of such voting or abstention, and in any case within twenty clear days from the date of such voting or abstention, inform the Secretary Panchayat as in **FORM II** whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, person or authority.

Explanation – A member may be regarded as having abstained from voting only when he, being entitled to vote, voluntarily refrained from voting.

4. Information [illegible] to be furnished by member:-

(1) Every member who has taken his seat in the Panchayat before the date of commencement of these rules shall furnish to the Chief Executive Officer, within fifteen clear days of the commencement of the Rules or within such further period as the Secretary Panchayat may for sufficient cause allow, a statement of particulars and declaration as in **Form III.**

(2) Every member who takes his seat in the Panchayat after the commencement of these rules shall, before making and subscribing an oath or affirmation under the First Schedule of the Daman and Diu Panchayat Regulation,2012, and taking his/her seat in the Panchayat, deposit with the Secretary-Panchayat, his/her election certificate or, as the case may be, a certified copy of the notification nominating him or her as a member and also furnish to the Secretary-Panchayat a statement of particulars and declaration as in **FORM-III.**

> **Explanation** – For the purposes of this sub-rule, "Election Certificate" means the certificate of election issued under the Regulation and the rules made there under.

(3) A summary of the information furnished by the members under this rule shall be notified in the Official Gazette.

5. The maintenance of registers or other records as to the political parties, if any, to which different members of the Panchayat belong:-

(1) The Chief Executive Officer shall mention, as in **Form IV,** a register based on the information furnished under rules 3 and 4 in relation to the members.

(2) The information in relation to each member shall be recorded on a separate page in the register.

6. Disqualification on ground of defection:-

(1) Subject to the provisions of Rule 7, a member of a Panchayat belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the Panchayat

(a) if he/she has voluntarily given up his/her membership of such political party or

(b) if he/she votes or abstains from voting in such Panchayat contrary to any direction issued by the political party to which he/she belongs or by any person or authority authorised by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority and such voting or abstention has not been condoned by such political party, person or authority within fifteen days from the date of such voting or abstention.

Explanation:- For the purposes of this sub-rule an elected member of a Panchayat shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member.

(2) An elected member of a Panchayat who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the Panchayat if he joins any political party after such election.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this rule, a person who, on the commencement of the Regulation, is a member of a Panchayat shall:

(i) where he/she was a member of a political party immediately before such commencement, be deemed, for the purposes of sub-rule (1) to have been elected as a member of such Panchayat as a candidate set up by such political party;

(ii) in any other case, be deemed to be an elected member of the Panchayat who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party for the purposes of sub-rule (2).

7. Disqualification on ground of defection not to apply in case of merger:-

(1) A member of a Panchayat shall not be disqualified under sub-rule (1) of rule 6, where his/her original political party merges with another political party and he/she claims that he/she and any other members of his/her original political party –

(a) have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger; or

(b) have not accepted the merger and opted to function as a separate group, and from the time of such merger, such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he/she belongs for the purposes of sub-rule (1) of rule 6 and to be his/her original political party for the purposes of this sub-rule.

(2) For the purposes of sub-rule (1) of this rule, the merger of the original political party of a member of a Panchayat shall be deemed to have taken place if, and only if, not less than two-thirds of the members of such political party in the Panchayat concerned have agreed to such merger.

8. Procedure of the petition-

(1) No reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Fifth Schedule shall be made except by a petition in relation to such member made in accordance with the provisions of these rules.

(2) A petition in relation to a member may be made in writing to the Secretary Panchayat by the leader of the Political party to which the member belongs or by any other member.

(3) Before making any petition in relation to any member, the petitioner shall satisfy himself that there are reasonable grounds for believing that a question has arisen as to whether such member has become subject to disqualification under the Fifth Schedule.

(4) Every petition:-

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies; and

(b) shall be accompanied by copies of the documentary evidence, if any, on which the petitioner relies and where the petitioner relies on any information furnished to him/her by any person, a statement containing the names and addresses of such persons and the gist of such information as furnished by each such person.

(5) Every petition shall be signed by a petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure,1908 (5 of 1908), for the verification of pleadings.

(6) Every enclosure to the petition shall also be signed and verified by the petitioner.

9. The procedure for deciding any question referred to in the Rules including the procedure for any inquiry which may be made for the purpose of deciding such question –

(1) On receipt of a petition under rule 8, the Secretary Panchayat shall consider whether the petition complies with the requirement of that rule.

(2) If the petition complies with the requirements of rule 8, the secretary Panchayat shall dismiss the petition and intimate the petitioner accordingly.

(3) If the petition complies with the requirements of rule 8, the Secretary Panchayat shall cause copies of the petition and of the enclosure thereto to be forwarded-

(a) To the member in relation to whom the petition has been made, and

(b)Where such member belongs to any party and such petition has not been made by the leader thereof, also to such leader, and such member or leader shall, within seven clear days of the receipt of such copies, or within such further period as the Secretary Panchayat may for sufficient cause allow, forward his/her comments in writing thereon to the Secretary Panchayat.

(4) After considering the comments, if any in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the permitted period of time, the Secretary Panchayat may give a reasonable opportunity to such member to present his/her case in person.

(5) If any petitioner is aggrieved with the decision of the Secretary Panchayat, may appeal to the Administrator, Daman & Diu within 30 days.

10. Decision on questions as to disqualification on ground of Defection :-

If any question arises as to whether a member of a Panchayat has become subject to any disqualification under the Fifth Schedule, it shall be referred to the Administrator of the Union Territory of Daman and Diu for decision and his decision thereon shall be final :

Provided that the Administrator may give an opportunity to the Petitioner and the concerned member (s) to be heard in person before giving such decision.

Provided further that before giving any decision on any such question, the Administrator shall obtain the opinion of the Election Commission and act according to such opinion.

11. Decision on Petition :-

(1) At the conclusion of the consideration of the petition, the Administrator shall by order in writing,

(a) Dismiss the petition, or

(b) Declare that the member in relation to whom the petition has been made has become subject to disqualification under the Fifth Schedule, and cause copies of the order to be delivered or forwarded to the petitioner, the member in relation to whom the petition has been made and to the leader of the party, if any, concerned.

(2) Every decision referred to in sub-rule (1) shall be in the form of an Order and notified in the Official Gazette and copies of such decision shall be forwarded by the Secretary Panchayat to the Election Commission of Union Territory of Daman and Diu and the Panchayat concerned.

12. Directions as to detailed working of these rules :-

The Administrator of the Union Territory of Daman and Diu may, from time to time, issue such directions as he may consider necessary to give effect to these rules.

13. Notwithstanding anything contained in these Rules, the commencement of these Rules shall not affect any petition for disqualification on ground of defection pending at the time of commencement of these Rules and anything duly done with respect to the said petition.

By order and in the name of the
Administrator of Daman & Diu,

(J. P. Agrawal)
Special Secretary (PRI)
Daman & Diu.

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

FORM – I
[See Rules 3(1)(a)]

Name of Party:

Name of the corresponding political party:

Sr. No.	Name of the Member (in block letters)	Father's/ husband's name	Permanent Address	Name of the Panchayat from which elected	Name of the Constituency from which elected
1	2	3	4	5	6

Date:

Signature of the leader of the party

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

FORM II
[See Rules 3(5)]

To
The Secretary Panchayat

Sir,

At the meeting of the Panchayat held on ....
(date) during voting on ....(Subject –matter).............

Shri/Smt....................................Member

(Constituency No...........................)
Name of the Panchayat.....................
And member of ....(Name of political party) had voted/abstained from voting.

.... (name of the member)
Member (Constituency No. ....)
Name of the Panchayat..........................
Member of ....(Political party) and leader of/sole member of ....(Name of Party) voted/abstained from voting

contrary to the direction issued by .... (person/authority/party) without obtaining the prior permission of the said person/authority/party.

2. On (date)................... the aforesaid matter was considered by ....(Person/authority/party) and the said voting/ abstention was condoned/was not condoned by him/it.

Date:

Yours faithfully,

(Signature)

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

FORM III
[See Rule 4(1)(2)]

1. Name of the member (in block letters):
2. Father's/husband's name:
3. Permanent Address:
4. Present Address:
5. Date of election/nomination:
6. Party affiliation as on –

    (i) Date of election/nomination:

    (ii) Date of signing this form:

DECLARATION

I ....hereby declare that the information given above is true and correct.

In the event of any change in the information give above, I undertake to intimate the Chief Executive Officer immediately.

Date:

Signature/thumb
Impression of member

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

FORM IV

[See Rule 5(1)]

Name of the member (in block letters)	Father's/ husband's name	Permanent Address	Present Address	Name of the Panchayat from which elected	Date of election/ nomination	Name of political Party which he/she belongs	Name of Legislative Party which he/she belongs	Remarks
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
पंचायती राज संस्थान विभाग
पंचायत सचिव, मोटी दमण दमण एवं दीव का कार्यालय

No. 4/21/SEC/(PRI)/ANTI-DEF/2013/97 **अ धि सू च ना** Dated: 15/01/2015

संघ प्रदेश, दमण एवं दीव की अधिसूचना सं. 4/21/विशे.सचिव/(पंचा.राज सं.)/2012-13/7219, दिनांक 23.03.2013 के तहत पंचायतीराज संस्थान विभाग, सचिव पंचायत, दमण एवं दीव कार्यालय में दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 (वर्ष 2012 का सं.4) की धारा-121 की उप-धारा (1) के अपेक्षानुसार मसौदा " दमण एवं दीव पंचायत के सदस्य " (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियमावली, 2013 का प्रकाशन किया गया था और सरकारी असाधारण राजपत्र सं. 07, दिनांक 23 मार्च, 2013 में पृष्ठ सं. 148 से 153 तक इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से इस अधिसूचना वाले सरकारी राजपत्र को जनता को उपलब्ध करवाये जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि समाप्ति से पहले आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियाँ दमण एवं दीव प्रशासन की सरकारी वेबसाईट पर आम जनता के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी ;

और जबकि उक्त मसौदा नियमावली पर जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर संघ प्रदेश के प्रशासक द्वारा विधिवत विचार किया गया है ;

अत: अब दमण एवं दीव पंचायत विनियम की पाँचवी अनुसूची के अनुच्छेद-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

नियमावली

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(1) इन नियमों को दमण एवं दीव पंचायत (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियमावली, 2013 कहा जाएगा ।

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

(2) ये नियम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए लागू होंगे ।

(3) ये नियम दमण एवं दीव के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषायें :

(i) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "पूरा दिन" का आशय नोटिस या सूचना जारी करने के दिन, बैठक के दिन और किसी राजपत्रित अवकाश या रविवार को छोडकर बाकी दिनों से है ।

(ख) "प्रारंभ की तिथि" का इन नियमों के संबंध में आशय उस तिथि से है, जिससे ये नियम दमण एवं दीव के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद प्रभावी होंगे, जैसा कि पॉचवी अनुसूची के अनुच्छेद-(5) के तहत दिया गया है :

(ग) "पॉचवीं अनुसूची" का आशय दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की पॉचवी अनुसूची से है ।

(घ) "प्रपत्र" का आशय इन नियमों से जुड़े प्रपत्र से है;

(ङ) "सदस्य" का आशय जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य से है;

(च) "कार्यवृत्त" का अभिप्रेत जिला पंचायत की बैठक के कार्यवृत्त से है;

(छ) "मूल राजनीतिक पार्टी" का जिला पंचायत के सदस्य के संबंध में आशय उस राजनीतिक पार्टी से है, जिससे वे पॉचवीं अनुसूची के पैरा-2 के उप-पैरा(1) के प्रयोजनों हेतु ताल्लुक रखते हैं ;

(ज) "पंचायत"का आशय जिला पंचायत या ग्राम पंचायत से है;

(झ) "राजनीतिक पार्टी"का आशय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 में यथा परिभाषित राजनीतिक पार्टी से है;

(त) "विनियम"का आशय दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 से है;

(i) प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, परन्तु जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं है, उनका अर्थ वही होगा जो उक्त विनियम में क्रमश: दिया गया है ।

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

3. **किसी राजनीतिक पार्टी के नेता द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी :**

1. प्रत्येक राजनीतिक पार्टी (केवल एक सदस्य वाली पार्टी सहित) के नेता उप-नियम (2) में निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे :

(क) **प्रपत्र-1** में पार्टी सदस्यों के नाम तथा उनके अन्य ब्यौरों सहित विवरण (लिखित में) और ऐसी पार्टी के सदस्यों के नाम एवं पदनाम , जिन्हें इन नियमों के प्रयोजन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ संप्रेषण हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है ।

ख. संबन्धित पार्टी के नियमों एवं विनियमों , चाहे ऐसे जाने जाते हो या गठन किये गए हों या किसी अन्य नाम द्वारा, की एक प्रति, और

(2) उप-नियम (1) में विहित जानकारी प्रस्तुत की जाएगी :-

(i) जहॉ पंचायत की प्रथम बैठक इस नियमावली की शुरूआत से पहले आयोजित की गई है, वहॉ इस नियमावली की शुरूआत से पंद्रह दिनों के अंदर या ऐसी किसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों से अनुमति दे ;

(ii) किसी अन्य मामले में, पंचायत की प्रथम बैठक से पंद्रह दिनों के अंदर या ऐसी किसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों से अनुमति दें ;

(3) किसी पार्टी के नेता द्वारा उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई सूचना में जब कभी भी कोई परिवर्तन होता है तो वे इसके पश्चात पंद्रह दिनों के अंदर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्याप्त कारणों से अनुमत ऐसे किसी अतिरिक्त अवधि के अंदर ऐसे परिवर्तन के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

(4) जहॉ किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य ऐसी राजनीतिक पार्टी जिससे वह ताल्लुक रखता है या ऐसे किसी व्यक्ति या प्राधिकारी जो इस संबंध में प्राधिकृत है, के किसी निदेशन के विरूद्ध ऐसी राजनीतिक पार्टी ,व्यक्ति या प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना मतदान करता या नहीं करता है तो दोनो ही स्थितियो में , संबंधित राजनीतिक पार्टी के मुखिया या जहॉ ऐसे सदस्य मुखिया हैं , या जैसा भी मामला हो, , ऐसी पार्टी के एकमात्र सदस्य, ऐसे सदस्य उक्त मतदान किये जाने या न किये जाने के पंद्रह दिनों की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र , और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान किये जाने या न किये जाने के बीस पूर्ण दिवसों के भीतर सचिव पंचायत को **प्रपत्र-II** में सूचित करेंगे कि ऐसे मतदान किये जाने या न किए जाने को ऐसी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा माफ किया गया है या नहीं ।

स्पष्टीकरण - किसी भी सदस्य द्वारा मतदान नहीं करना केवल तभी समझा जाएगा, जब मतदान का हकदार होकर भी उसने स्वेच्छा से मतदान नहीं किया है ।

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

4. सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी :-

(1) हरेक सदस्य, जिसने इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पहले पंचायत में सीट ली है, **प्रपत्र-III** में ब्यौरों एवं घोषणा का विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसी तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर या किसी ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जैसा कि , सचिव पंचायत पर्याप्त कारणों से अनुमति दे सकते हैं, प्रस्तुत करेंगे।

(2) हरेक सदस्य, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद पंचायत में अपनी सीट ग्रहण करते हैं, दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत कोई शपथ लेने और करने या पुष्टि करने और पंचायत में सीट ग्रहण करने के पहले सचिव पंचायत के पास अपना चुनाव प्रमाणपत्र या, जैसा मामला हो, अपने को सदस्य के रूप में नामांकित करेंगे और **प्रपत्र-III** में ब्यौरों और घोषणाओं का विवरण भी सचिव पंचायत को प्रस्तुत करेंगे।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, "चुनाव प्रमाणपत्र" का आशय विनियम और उसके अंतर्गत बनाई गयी नियमावली के आधार पर जारी निर्वाचन प्रमाणपत्र से है।

(3) इस नियम के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियों का सारांश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा ।

5. राजनीतिक पार्टियों, यदि कोई हो, जिससे पंचायत के विभिन्न सदस्य ताल्लुक रखते हों, से संबंधित पंजियों या अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण:-

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्यों के संबंध में नियम-3 एवं 4 के अंतर्गत प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, **प्रपत्र IV** की तरह, एक पंजी का अनुरक्षण करेंगे।

(2) उक्त पंजी में प्रत्येक सदस्य से संबंधित जानकारी अलग पृष्ठ पर अभिलेखित की जाएगी।

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

6. दल बदल के आधार पर अयोग्यता :

(1) नियम-7 के उपबंधों के अधीन किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाला पंचायत सदस्य पंचायत का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा -

क. यदि उसने स्वैच्छा से ऐसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड दी है ।

ख. यदि वह ताल्लुक रखने वाली पार्टी द्वारा या इस संबंध में इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा , दोनों मामलों में ऐसी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जारी किसी निर्देशन के विपरीत ऐसे पंचायत में मतदान करता है या नहीं करता है, और ऐसा मतदान करने या मतदान नहीं करने को ऐसी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या प्राधिकारीद्वारा मतदान करने या नहीं करने की तिथि से 15 दिनों माफ नहीं किया गया हो ।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों हेतु - पंचायत का निर्वाचित सदस्य उस राजनीतिक पार्टी का माना जायेगा, यदि कोई हो, जिसके द्वारा उसे ऐसे सदस्य के तौर पर चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खडा किया गया था ।

2. पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य, किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा खडा किये गये उम्मीदवार की तरह नहीं, बल्कि अन्यथा रूप में निर्वाचित हुआ है, उसे पंचायत का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित किया जायेगा, यदि वह ऐसे चुनाव के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है ।

3. इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों में कुछ भी उद्दत होने के बावजूद, कोई व्यक्ति, जो विनियम, 2012 के प्रारंभ होने पर पंचायत का सदस्य है, वह -

i. जहॉ वह ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य था, इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद -(I) के प्रयोजनार्थ ऐसी राजनीतिक पार्टी द्वारा खडे किये गये उम्मीदवार के रूप में ऐसे पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित माना जायेगा;

ii. किसी भी अन्य मामलो में, उसे पंचायत का निर्वाचित सदस्य माना जाएगा, जो इस अनुच्छेद के उप-नियम- (2) के प्रयोजनों हेतु किसी राजनीति पार्टी द्वारा खडा किया हुआ नहीं ,बल्कि ऐसे ही अन्यथा रूप से निर्वाचित हुआ है ।

7. दल-बदल के आधार पर अयोग्यता संयोजन के मामले में लागू नहीं

2. पंचात का कोई सदस्य नियम-6 के उप-नियम (1) के तहत अयोग्य नहीं होगा, जहॉ उसकी वास्तविक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ संयोजन कर ले और वह यह दावा करें कि वह और उसकी वास्तविक राजनीतिक पार्टी के अन्य दूसरे सदस्यों ने -

क. ऐसी दूसरी राजनीतिक पार्टी या, जैसा मामला हो, ऐसे संयोजन द्वारा नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन गए हैं, या

ख. उन्होंने उक्त संयोजन को स्वीकार नहीं किया है और पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प अपनाया है और ऐसे संयोजन के समय से ऐसी अन्य राजनीतिक पार्टी या नई राजनीतिक पार्टी या समूह के रूप में, जैसा मामला हो, कार्य करने को विकल्प चुना है, उसे उक्त राजनीतिक पार्टी माना जाएगा, जिससे वे नियम-6 के उप-नियम (1) के प्रयोजनार्थ ताल्लुक रखते हैं और उप-नियम के प्रयोजनार्थ उसकी वास्तविक राजनीतिक पार्टी मानी जाएगी ।

(2) इस नियम के उप-नियम-(1) के प्रयोजनार्थ पंचायत के किसी सदस्य की वास्तविक राजनीतिक पार्टी का उक्त संयोजन हुआ तभी और केवल तभी माना जायेगा जब संबंधित पंचायत में ऐसी राजनीतिक पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों ने ऐसे संयोजन के लिए सहमति दी हो ।

8. उक्त याचिका की प्रकिया -

(1) किसी भी प्रश्न का कोई भी संदर्भ कि कोई सदस्य पॉचवी अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता के लिए निर्धारित किया गया है, इन नियमों के प्रावधानां के अनुसार ऐसे सदस्य के संबंध में याचिका के अलावा नहीं किया जाएगा ।

(2) ऐसे सदस्य के संबंध में लिखित रूप में याचिका पंचायत सचिव को उस पार्टी के मुखिया के द्वारा, जिससे वह सदस्य संबंधित है या किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जा सकता है ।

(3) किसी सदस्य के संबंध में कोई याचिका देने से पहले याचिकादाता स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि यह विश्वास करने हेतु संगत आधार है कि एक प्रश्न उठा है कि ऐसा सदस्य पॉचवी अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य हो गया है

(4) हरेक याचिका :-

(क) में उन ठोस तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिस पर याचिकादाता भरोसा करता है ; और

(ख) के साथ दस्तावेजी साक्ष्य, यदि हो, की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए, जिस जिस पर याचिकादाता भरोसा करता है और जहॉ याचिकादाता स्वयं को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी जानकारी पर भरोसा करता है , ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते एवं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत ऐसी जानकारी का सार होना चाहिए ।

(5) हरेक याचिका पर याचिकादाता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और अभिवचनों के सत्यापन हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (वर्ष 1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिए ।

(6) याचिकादाता द्वारा उक्त याचिका के हरेक संलग्नक हस्ताक्षरित और सत्यापित होना चाहिए ।

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

9. जॉच हेतु प्रकिया सहित उक्त नियमावली में संदर्भित किसी प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु प्रकिया :

1) नियम -8 के अन्तर्गत याचिका प्राप्त होने पर सचिव(पंचायत) यह विचार करेंगे कि उक्त याचिका उस नियम की अपेक्षा का अनुपालन करता है या नहीं

2) यदि उक्त याचिका नियम - 8 की अपेक्षा का अनुपालन करता है तो सचिव (पंचायत) याचिका को खारिज करेंगे अथवा याचिकादाता को तदनुसार सूचित करेंगे ।

3) यदि उक्त याचिका नियम - 8 की अपेक्षा का अनुपालन करता है तो सचिव (पंचायत) उक्त याचिका की प्रतियों और संलग्नकों को अग्रेषित कराएंगे -

(क) उस सदस्य को जिसके संबन्ध में याचिका दी गई है, और

(ख) जहॉ ऐसा सदस्य किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है और ऐसी याचिका उसके मुखिया द्वारा नहीं की गई हो, ऐसे मुखिया को और ऐसे सदस्य या मुखिया को उक्त प्रतियॉ प्राप्त होने के 07 पूर्ण दिवसों के भीतर या ऐसे किसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जैसा कि सचिव (पंचायत)पर्याप्त कारणों से अनुमति दें, और अपनी टिप्पणी लिखित रूप में सचिव (पंचायत) को अग्रेषित करें ।

4) उक्त याचिका के संबन्ध में निर्धारित समय के भीतर उप नियम 3 के अन्तर्गत यदि कोई टिप्पणी प्राप्त हो, उन पर विचार करने के बाद सचिव(पंचायत) ऐसे सदस्य को अपना मामला व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का उचित अवसर देंगे ।

5) यदि याचिकादाता सचिव(पंचायत) के निर्णय से असंतुष्ट होंगे, तो वे प्रशासक, दमण एवं दीव को 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं ।

10. दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय : -

यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि पंचायत का कोई सदस्य पॉचवीं अनुसूची के अन्तर्गत अयोग्य हो गया है, तो इस मामले को संघ प्रदेश दमण एवं दीव के प्रशासक को निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा और इस संबन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा :

बशर्ते कि प्रशासक याचिकादाता और संबन्धित सदस्य (ओं) को ऐसा निर्णय देने से व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु अवसर दे सकते हैं ।

बशर्ते यह भी कि ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले प्रशासक चुनाव आयुक्त की राय लेंगे और इस राय के अनुसार कार्य करेंगे ।

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

11. याचिका पर निर्णय :-

(1) याचिका पर विचार कर निष्कर्ष पर प्रशासक लिखित आदेश द्वारा ,

(क) याचिका को खारिज कर देंगे, या

(ख) घोर्षणा करेंगे कि जिस सदस्य के संबंध में उक्त याचिका दायर की गई है, वे पॉचवीं अनुसूची के अन्तर्गत अयोग्य हो गया है और याचिका की प्रतियां याचिकादाता, सदस्य, जिस सदस्य के संबंध में उक्त याचिका दायर की गई है,और संबंधित पार्टी के मुखिया को भिजवायेंगे या अग्रेषित करायेंगे, यदि कोई हो ।

(2) उप-नियम-(1) में संदर्भित हरेक निर्णय आदेश के रूप में होगा और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा ऐसे निर्णय की प्रतियां सचिव(पंचायत) द्वारा संघ प्रदेश दमण एवं दीव के चुनाव आयोग और संबंधित पंचायत द्वारा अग्रेषित की जाएगी ।

12. इन नियमों की विस्तृत कार्यप्रणाली के संबंध में निर्देश :-

प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव समय- समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं जैसा कि इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी समझें ।

13. इन नियमों में कुछ भी उद्धृत होने के बावजूद इन नियमों का प्रारंभ दल-बदल के आधार पर योग्यता हेतु इन नियमों के प्रारंभ के समय लंबित किसी याचिका को और उक्त याचिका के संबन्ध में विधिवत किये गए किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा ।

प्रशासक, दमण एवं दीव
के आदेश एवं नामानुसार

ज.प्र.अग्रवाल
15.1.2015

(जे.पी. अग्रवाल)
विशेष सचिव(पंचायती राज संस्थान)
दमण एवं दीव

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

प्रपत्र - I

[नियम-3 (1) (क)देखें]

पार्टी का नाम :

सदृश राजनीतिक पार्टी का नाम

क्र.सं.	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	जिस पंचायत से चुने गए उस का नाम	जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए, उसका नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.

दिनांक :-

पार्टी के नेता के हस्ताक्षर

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

प्रपत्र - II

[नियम-3(5) देखें]

सेवा में,

सचिव पंचायत

महोदय,

दिनांक _________ (तिथि) को ______________________(विषय वस्तु) पर आयोजित पंचायत की बैठक में

श्री/श्रीमती ____ सदस्य

(निर्वाचन क्षेत्र सं. ______________________________)

पंचायत का नाम ________________________ और _________________ का सदस्य (राजनतिक पार्टी का नाम) ने मतदान किया था / मतदान नहीं किया था ।

_____________________ (सदस्य का नाम)

सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र सं..............................)

पंचायत का नाम ________________

_____________________(राजनीतिक पार्टी) का सदस्य और __________ के नेता / एक मात्र सदस्य (पार्टी का नाम) मतदान किया था / मतदान नहीं किया था ।

__________________ (व्यक्ति/ प्राधिकारी/पार्टी) ने ____________________द्‌वारा जारी निदेशन के विपरीत उक्त व्यक्ति / प्राधिकारी / पार्टी की पूर्व अनुमति के बिना मतदान किया था / मतदान नहीं किया था ।

2. दिनांक (तिथि) _______________ को पूर्वोक्त मामले पर ____________ (व्यक्ति /प्राधिकारी / पार्टी) द्‌वारा विचार किया गया था और उक्त मतदान करने मतदान नहीं करने को उनके /इसके द्‌वारा माफ किया गया था/माफ नहीं किया गया था ।

दिनांक :

भवदीय

(हस्ताक्षर)

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

प्रपत्र - III

[नियम-4 (1) (2) देखें]

1. सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में) :
2. पिता /पति का नाम
3. स्थायी पता
4. वर्तमान पता
5 चुनाव /नामांकन की तिथि
6. पार्टी संबंधन -

(ii) चुनाव/नामांकन की तिथि
(iii) इस प्रपत्र को हस्ताक्षर करने की तिथि

घोषणा

मैं ________________एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है ।

ऊपर दी गई जानकारी में परिवर्तन की स्थिति में, मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तत्काल सूचित करने का शपथ लेता हूँ ।

दिनांक :

सदस्य के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

EXTRAORDINARY No. : 02
DATED : 15TH JANUARY, 2015.

प्रपत्र - IV

[नियम-5 (1) देखें]

पार्टी का नाम :

सदृश राजनीतिक पार्टी, का नाम

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थाई पता	वर्तमान पता	जिस पंचायत से चुने गए उस का नाम	निर्वाचन/नामांकन की तिथि	जिस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस का नाम	जिस वैधानिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उस का नाम	अभ्युक्तियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

[Government Printing Press, Daman. 01/2015 – 250.]
[Price Rs. 12.00]